न्यायालय, भूमि सुधार उप समहार्त्ता, बुण्डू (राँची)

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–24......./2018–19

श्याम सुन्दर महतो...अपीलार्थी

बनाम

अंचल अधिकारी, बुण्डू...प्रतिवादी

आदेश की क्रम सं. एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित
10.07.18	अपीलार्थी श्याम सुन्दर महतो, पिता–स्व० चैता महतो, ग्राम–लेपाडीह, डाकघर–बुढ़ाडीह, थाना–बुण्डू, जिला–राँची ने अंचलाधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०– 64 R27/2017-2018/बुण्डू में दिनांक–06/10/2018 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर किया है। जिसके द्वारा निम्न भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया।	

भूमि विवरणी

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा
बुण्डू	बुण्डू/0028	1244	142	0.06 1/8 ए०

अपीलार्थी को सुनकर सुनवाई हेतु इस अपील वाद को ग्रहण किया गया। अपीलार्थी का कहना है कि उपरोक्त वर्णित भूमि का नामांतरण हेतु अंचल कार्यालय में आवेदन किया था, तकनीकी कारणों से अस्वीकार कर दिया गया है।

अपीलार्थी द्वारा इस वाद में समर्पित निम्न न्यायालय द्वारा नामांतरण वाद सं०– 64 R27/2017-2018/बुण्डू में दिनांक–06/10/2017 को पारित आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। अंचलाधिकारी, बुण्डू के प्रतिवेदनानुसार आवेदन में एरिया यूनिट गलत किया गया है। ऑनलाईन तकनीकी कारणों। अतः इस स्थिति में नामांतरण अस्वीकृत किया गया है। अपीलार्थी द्वारा समर्पित दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत ज्ञात होता है कि तकनीकी कारणों से नामांतरण अस्वीकृत किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है कि एवं अंचलाधिकारी, बुण्डू को निदेशित किया जाता है कि उक्त तकनीकी भूल सुधार करते हुए अपीलार्थी को सुनकर उनके द्वारा समर्पित दस्तावेजों की पूरी तरह से जाँच पड़ताल करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करें।

इस आदेश की प्रतिलिपि को अंचल अधिकारी, बुण्डू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

Sd/- 10/07/18
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।

Sd/- 10/07/18
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।

394(ii)/RTO
10.07.18